

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(224)एमई/गुप-1/1996

जयपुर, दिनांक

14 JUN 2018

:- : आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.11.2014 द्वारा डॉ० अमित माथुर, आचार्य, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को सर्शत एवं एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं 12283/2014 डॉ० अमित माथुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ जयपुर में दिये जाने वाले निर्णय के अध्यक्षीन दिनांक 11.11.2014 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश के अधिकरण में डॉ० अमित माथुर, आचार्य, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं 12283/2014 डॉ० अमित माथुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश 30.11.2017 की अनुपालना में दिनांक 10.11.2014 को मध्याह्न पश्चात से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० अमित माथुर, आचार्य, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक:-

- (1.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3.) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. डॉ० अमित माथुर, आचार्य, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव